भारत संघ

बनाम

सी. एन. वासुदेवन

(सिविल अपील सं. 7260/2002)

7 मई, 2008

(एच. के. सेमा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.)

सेवा कानूनः

मानदेय/अतिरिक्त पारिश्रमिक-क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी-प्रवासियों के संरक्षक के कर्तव्य भी सौंपे गए-कार्य दिवसों पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान किए गए कर्तव्य-क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी द्वारा जिस अवधि के लिए उसने प्रवासियों के संरक्षक के रूप में भी काम किया, उस अवधि के लिए वेतन के अलावा अतिरिक्त मानदेय/पारिश्रमिक के लिए दावा-निर्धारितः स्वीकार्य नहीं-उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण दोनों ने पदधारी को मानदेय देने में कानून के साथ-साथ तथ्यों में भी गलती की है-उत्प्रवास अधिनियम के तहत प्रवासियों के संरक्षक का कार्य क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के सामान्य कर्तव्यों का हिस्सा है-दावे के अनुसार कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं देना होगा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 7260/2002

एस. सी. ए. सं. 1962/2001 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 18.07.2001 निर्णय से।

अपीलार्थियों की ओर से रेखा पांडे, सुषमा सूरी और बी. वी. बलराम दास।

प्रत्यर्थी के लिए देबाशीष मिश्रा।

न्यायालय का आदेश दिया गयाः

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

इस अपील में प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, अहमदाबाद, जिसने जिस अवधि में प्रवासियों के संरक्षक के रूप में काम किया उस अवधि के लिए अपने वेतन से अधिक मानदेय/पारिश्रमिक के लिए हकदार है।

प्रत्यर्थी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के रूप में कार्यरत था। उसे प्रवासियों के संरक्षक के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गई थी। उसने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक ओ.ए. प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना की कि चूंकि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और प्रवासियों के संरक्षक की जिम्मेदारियाँ बिल्कुल भिन्न है, उसे अलग हैसियत में कार्य करने के लिए मानदेय का भुगतान किया जावे। न्यायाधिकरण द्वारा उसकी प्रार्थना स्वीकार की गई। उच्च न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि की। इसलिए विशेष अनुमति द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

हमने न्यायाधिकरण के समक्ष क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, अहमदाबाद की ओर से दायर जवाबी शपथ पत्र का अध्ययन किया है। जवाबी शपथ पत्र के पैराग्राफ 9 में कहा गया है कि सभी 14 पासपोर्ट अधिकारियों को प्रवासियों के संरक्षक के कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया गया था ताकि यह तय किया जा सके कि उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रयोजन के लिए भारत से प्रस्थान करने का इरादा रखने वाला व्यक्ति प्रवासी है या नहीं। यह भी कहा गया है कि प्रवासी संरक्षक का कार्य क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के सामान्य कर्तव्य का हिस्सा थे। यह भी कहा गया है कि प्रवासी संरक्षक का कार्य क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी द्वारा केवल कार्य दिवसों पर सामान्य कार्यालय समय के

दौरान ही किया जाना था। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रवासियों के संरक्षक का कार्य पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और उन्हें कोई अतिरिक्त कार्य या जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। उक्त जवाबी शपथ पत्र के अनुसार इसीलिए जिन क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को प्रवासियों के संरक्षक का कार्य सौंपा गया था, उन्हें मानदेय के भुगतान का कोई प्रश्न ही नहीं था।

हम उपरोक्त तर्क से सहमत हैं, उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण दोनों ने प्रत्यर्थी को मानदेय देने में कानून के साथ-साथ तथ्यों में भी गलती की। उत्प्रवास अधिनियम के तहत प्रवासियों के संरक्षक का कार्य क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के कार्यों का सामान्य हिस्सा है। इसलिए इस कार्य के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं देना होगा। एक समान उदाहरण देने के लिए, किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर अक्सर विभिन्न राज्य एवं केन्द्रीय अधिनियमों के तहत कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित प्राधिकारी भी होता है। यह जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर को उसके सामान्य वेतन से अधिक किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक का अधिकार नहीं देता है।

पूर्वोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में, न्यायाधिकरण एवं उच्च न्यायालय के आदेशों को अपास्त किया जाता है। यह अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

आर.पी. अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रामकिशन शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।